विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2023 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री अनूप कुमार गुप्ता, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-24 का उत्तर।

प्रश्न		उत्तर
24(क)	क्या उप मुख्य मंत्री बतायेंगे कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से किसी भी संस्था में कार्य आवंटित किये जाने हेतु कोई धनराशि की सीमा निर्धारित है एवं इस निर्धारण सीमा के अन्तर्गत कौन से कार्य कराये जा सकते है?	जी हाँ। विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त के परिशिष्ट-1 के बिन्दु संख्या-1 के अनुसार किसी भी संस्था के लिए विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों के लिये भवनों और शिक्षण संस्थाओं के अन्य भवनों का निर्माण जो सरकार अथवा स्थानीय निकायों के अधीन हो, कराया जा सकता है। शासनादेश संख्या-18/2023/156/38-9-23/500(39)/2023 टी0सी0 दिनांक-03.07.2023 के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में किये गये संशोधन द्वारा संस्था के लिए निम्नांकित कार्य जोडे गये हैं:- 1. परिशिष्ट-1 में विधायक निधि के अन्तर्गत कराये जा सकने वाले कार्यों की दृष्टान्त सूची के बिन्दु-1 से आच्छादित विद्यालयों के प्रवेश द्वार एवं प्रवेश स्थल के सौन्दर्यीकरण। 2. उक्त विद्यालयों के प्रांगण में इंटरलॉकिंग, नाली एवं विभिन्न मरम्मत कार्य। 3. उक्त विद्यालयों की स्मार्ट क्लास हेतु आवश्यक उपकरण। 4. उक्त विद्यालयों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु सौर ऊर्जा एवं जनरेटर, इन्वर्टर तथा बैटरी की व्यवस्था। 5. उक्त विद्यालयों में पार्क व पुस्तकालय। 6. उक्त विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन हेतु किचन व भोजन स्थल निर्माण एवं मरम्मत

		कार्य आदि। 7. उक्त विद्यालय भवनों की रंगाई-पुताई, बिजली की मरम्मत, फिटिंग, फर्श का निर्माण, शौचालय का निर्माण तथा मरम्मत परिसर के अन्दर टाइल्स एवं फर्श, इण्टरलाकिंग, विभिन्न खेल उपकरणों एवं पानी की टंकी आदि की स्थापना एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य।
(ख)	क्या विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से कार्य आवंटित किये जाने हेतु धनराशि की निर्धारित सीमा के अन्तर्गत किसी संस्था को धनराशि देने पर प्रतिबन्ध है अथवा किसी संस्था को धनराशि आवंटित किये बगैर सरकार की कार्यदायी संस्था से उस संस्था के परिसर में निर्धारित सीमा 25 लाख रू से कम कर के भिन्न-भिन्न प्रकृति के अन्य कार्य कराने पर भी प्रतिबन्ध है?	विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से कार्य आवंटित किये जाने हेतु धनराशि की निर्धारित सीमा के अन्तर्गत किसी संस्था को धनराशि देने पर प्रतिबन्ध नहीं है। यदि संस्था का आशय कार्यदायी संस्था से है तो मार्गदर्शी सिद्धान्त के प्रस्तर-2.1 के प्रावधानानुसार निर्दिष्ट कार्यदायी संस्था से विधायक निधि के कार्य कराये जायेंगे। यदि संस्था का आशय ऐसी संस्था से है जिसे विधायक निधि का लाभ दिया जा रहा है तो मार्गदर्शी सिद्धान्त के प्रस्तर-4.1 के प्रावधानानुसार किसी भी संस्था/इकाई को रू0 25.00 लाख की सीमा तक ही कार्य आवंटित किये जा सकेंगे, परन्तु रू0 25.00 लाख की सीमा से अधिक की किसी वृहद अवस्थापना परियोजना यथा कन्वेंशन सेन्टर, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स या ऑडीटोरियम के कार्य अपवाद स्वरूप कराये जा सकते हैं। इस प्रकार संस्था में निर्धारित सीमा रू0 25.00 लाख से कम करके भिन्न-भिन्न प्रकृति के कार्य जिनका कुल योग यदि रू0 25.00 लाख से अधिक होता है तो नियमानुसार इन कार्यों की अनुसंशा नहीं की जा सकेगी।

(ग)	शासनादेश सं0-18/2023/156/38-9-23/500(39)/2023 टी0सी0 दिनांक-03.07.2023 की तालिका-1 के बिन्दु संख्या ख-मार्गदर्शी सिद्धान्त का प्रस्तर-4.1 के प्राविधान में उल्लिखित 25 लाख रू० की सीमा से अधिक की किसी वृहद अवस्थापना परियोजना के अन्तर्गत आने वाले कार्यों व उसके प्रकारों को परिभाषित करायेंगे?	शासनादेश सं0-18/2023/156/38-9-23/500(39)/2023 टी0सी0 दिनांक 03.07.2023 की तालिका-1 के बिन्दु संख्या ख-मार्गदर्शी सिद्धान्त का प्रस्तर-4.1 के प्रावधानानुसार रू0 25.00 लाख की सीमा से अधिक की किसी वृहद अवस्थापना परियोजना कन्वेंशन सेंटर, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स या ऑडीटोरियम के कार्य अपवाद स्वरूप कराये जा सकते हैं।
(घ)	उक्त शासनादेश में उल्लिखित यथा शब्द का अर्थ जैसे/उस जैसे/उदारहण है, यदि नहीं, तो इस शब्द का क्या अर्थ एवं उपयोग है?	उपरिवर्णित शासनादेश दिनांक-03.07.2023 में अंकित 'यथा' शब्द का अर्थ उदाहरण नहीं है। इस शब्द का प्रयोग उपरोक्त 03 परिभाषित परियोजनाओं के लिए ही है।
(ड़)	क्या उक्त शासनादेश के उपरोक्त प्राविधान में उल्लिखित 25 लाख रू0 की सीमा से अधिक की किसी वृहद अवस्थापना परियोजना यथा कन्वेंशन सेन्टर, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स या ऑडिटोरियम के कार्य में प्रयोग यथा शब्द का उपयोग वृहद स्थापना सुविधाओं के केवल उक्त 3 कार्यो के लिए ही किया गया है अथवा उपरोक्त तीन कार्यों जैसे अन्य स्थापना, परियोजना/सुविधाओं के लिए भी किया जा सकता है?	उपरिवर्णित शासनादेश दिनांक-03.07.2023 के प्रावधानानुसार रू0 25 लाख की सीमा से अधिक के केवल उपरोक्त 03 कार्यों के लिए ही 'यथा' शब्द का उपयोग किया जा सकता है।
(च)	क्या सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से वृहद अवस्थापना परियोजना यथा कन्वेंशन सेन्टर, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स या ऑडिटोरियम को छोड़कर किसी एक संस्था में या किसी एक स्थान	विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से वृहद अवस्थापना परियोजना यथा कन्वेंशन सेन्टर, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स या ऑडीटोरियम को छोड़कर किसी एक संस्था में या किसी एक स्थान पर किसी कार्यदायी संस्था द्वारा रू0 25 लाख तक की सीमा से अधिक के

	पर किसी कार्यदायी संस्था द्वारा 25 लाख तक की सीमा से अधिक के परियोजना के कौन-कौन से कार्य कराये गये है?	परियोजना के कोई कार्य नियमानुसार नहीं कराये गये हैं।
(छ)	क्या विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से 25 लाख रू0 तक की सीमा से अधिक के हुए उपरोक्त कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखेंगे?	प्रश्न नहीं उठता।
(ज)	यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

(केशव प्रसाद मौर्य)
उप मुख्यमंत्री।

Digitally Signed by केशव प्रसाद मौर्य
Date: 29-11-2023 15:52:03
Reason: Approved